न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 144 / 2018 दायरा दिनांक : 22.10.2018

उनवान

कंवरलाल पुत्र श्री पूरालाल जाति कलाल निवासी ग्राम माण्डवी तहसील पचपहाड जिला झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1– हिबराज दत्तक पुत्र प्रभूलाल जाति कलाल निवासी केशोपुरा रामजानकी मंदिर के पार कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा

2– मांगीलाल पुत्र उदा जाति कलाल निवासी ग्राम माण्डवी तहसील पचपहाड जिला झालावाड राजस्थान

3– शान्तिबाई पुत्री श्री पूरालाल जाति कलाल निवासी ग्राम माण्डवी तहसील पचपहाड जिला झालावाड राजस्थान

4– मनोहर बाई श्री पूरालाल जाति कलाल निवासी ग्राम माण्डवी तहसील पचपहाड जिला झालावाड राजस्थान

5– कान्ती बाई श्री पूरालाल जाति कलाल निवासी ग्राम माण्डवी तहसील पचपहाड जिला झालावाड राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अरूण कुमार जैन एवं श्री मुरलीमनोहर गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 17.12.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 03 / 2014 निर्णय दिनांक 30.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेश दिनांक 30.06.2018 खिलाफ कानून, खिलाफ जाप्ता, खिलाफ उसूल–इंसाफ एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। लोक अदालत की निर्धारित तिथि 11.06.18 थी जिसे बिना कोई किसी सूचना के केम्प भवानीमण्डी में रखना बता कर दिनांक 30.06.18 को निर्णित कर दिया। जिसकी कोई सूचना नहीं दी गई न प्राप्त हुई। तारीख पेशी की जानकारी करनेपर पता चला की प्रकरण को 30.06.18 में फेसला कर देना बताया गया जिस पर दिनांक 11.07.18 को प्रार्थनापत्र दिया किन्तु नकल 16.07.18 को देनी थी किन्तु निर्णय लिखाया गया था जो बाद में लिखवा कर दिनांक 19.07.18 को नकल दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि रेस्पोडेन्ट हिबराज की आराजी पर अपने जाने के लिये पहले से ही 2 रास्ते के अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता मौजूद नही है उनकी यह तजवीज कि पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 10.07.17 में ऐसा कोई उल्लेख नही है कि विवादग्रस्त आराजी पर अपने जाने हेतु और कोई वैकल्पिक रास्ता मोजूद हो। कानून एवं न्याय के सिद्धान्तों तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। अपीलांट को केम्प की भी सूचना नही मिली वह अपना पक्ष नहीं रख सके। इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलांट ने रास्ता नहीं मांगा था उसे रास्ते की कोई आवश्यकता नही है। अपीलांट की भूमि में से नया रास्ता दे कर अपीलांट को भी अनावश्यक रास्ता देने का आदेश खिलाफ कानून है और निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल कोर्ट के फैसले व उसमें प्रस्तुत कमीशनर रिपोर्ट का अवलोकन नहीं किया उस पर विचार किये बिना निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। जबकि उस निर्णय में सारी स्थिति व वास्तविकता स्पष्ट की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का फैसला मात्र अनुमान एवं कायस (Surmises & Conjunction) पर आधारित है और निरस्त होने योग्य है। दो वैकल्पिक रास्ते मौजूद होते हुए भी नया रास्ता दिया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट अपना पक्ष नहीं रख सके जिसके कारण विधि सम्मत सही फैसला नही हो सका है। पक्ष रखने का अवसर दिया जाना न्यायसंगत एवं न्यायोचित है तथा न्यायहित में आवश्यक है।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 11.10.18 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस अभिभाषक अपीलांट सुनी गई । रेस्पोडेंट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को कोई सूचना दिये बिना ही निर्णय कर दिया । अपीलांट को कोई सूचना नही दी गई। प्रकरण पहले न्यायाधिकारी ग्राम झालापाटन में प्रभुलाल बनाम मांगीलाल दिनांक 12.12.2011 को निर्णित हो चुका है जो खारिज हो चुका है। जिसकी अपील माननीय जिला न्यायालय में की है रेस्पोडेंट ने तथ्य छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय मे दावा कर दिया जबकि सिविल कोर्ट मे मामला चल रहा है तो अधीनस्थ न्यायालय मे नही चलेगा। इस सम्बंध मे आर0आर0डी0 2010 पेज 184 की नजीर पेश की। पटवारी को रिपोर्ट करने का अधिकार नही है उससे उच्च अधिकारी मोका देखेगा। इस बाबत् आर0आर0डी0 2018 पेज 290 नजीर पेश की। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करे।

पत्रावली का अवलोकन किया अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी के निर्णय दिनांक 30.06.18 मे अप्रार्थीगण सं 1,2,3 व 5 जरिये अभिभाषक उपस्थित होना बताया गया तथा पक्षकारान को केम्प कुण्डीखेडा दिनांक 22.06.2016 को उपस्थित होने बाबत् पाबंद किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1,2,3 व 5 मय अभिभाषक अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इस एकपक्षीय कार्यवाही मे अपीलांट भी शामिल है। अतः यह कहना उचित नही है कि अपीलांट को कोई सूचना ही नही दी गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे माननीय ग्रामीण न्यायालय झालापाटन के निर्णय एवं माननीय जिला न्यायालय झालावाड की आर्डर शीट व प्रकरण की प्रमाणीत प्रतियो का भी उल्लेख है। अतः यह कहना कि रेस्पोडेंट ने उक्त तथ्य छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षो को सुनवाई का अवसर देकर तथा मौका रिपोर्ट लेकर प्रार्थना पत्र का

निस्तारण किया है जिसमे हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **17.12.2020** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा